न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं051/2018 तारीख रजू:– 03.07.2018

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

गुड्डी पुत्री घन्सी पत्नि लहरीसिंह जाति जाट हाल निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली——————————————————— सायल

बनाम

1. लीलावती पुत्री श्याम पत्नि श्रीराम जाति जाट निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली——— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :–16.08.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उवानी दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायला व गैरसायल नं01 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.09 है0, 1399 रकबा 0.04 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 172 रकबा 0.18 है0, 214 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.31 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.28 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात में सायला का 1/2 हिस्सा तथा गैरसायल नं01 का 1/2 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी [illegible]73–76 में दर्ज है। सायला व गैरसायल नं01 खास बुआ –भतीजी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज [illegible] है कि सायला व गैरसायल नं01 ने आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना [illegible] का मौके पर बाहमी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

कर रखा है लेकिन विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण गैरसायल सं01 सायला को अपने बाहमी बंटवारे की कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि में आये दिन बाधा मजाहमत डालती रहती है तथा सायला को आये दि परेशान करती रहती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 24.06.2018 को सुबह 9 बजे का है कि सायला अपने बाहमी बंटवारे की आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र को सार संभाल करने गई तो गैरसायल नं01 भी कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर मौके पर आ गई तथा सायला से कहा कि मैं इस साल तुझे इस भूमि को काश्त नहीं करने दूंगी। तब सायला ने गैरसायल सं01 से हाथ जोडकर निवेदन किया कि बुआजी इस भूमि को मैं काफी दिनों से मौके पर काश्त करती चली आ रही हूँ लेकिन अब मुझे आप काश्त करने में बाधा मजाहमत पैदा क्यों करती हो। तब सायला ने कहा कि तहसील में चलकर विधिवत बंटवारा करवा लो व अपनी भूमि को अलग अलग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लो। गैरसायल नं01 आग बबूला हो गई तथा सायला को स्पष्ट धमकी दी कि तुझे करना हो सो कर लेना, मैं तुझे काश्त नहीं करने दूंगी तथा तेरे कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करके छोडूँगी। इस कारण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ने सायला को अपने बाहमी बंटवारे की कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि से बेदखल कर दिया व काश्त नहीं करने दी तो पक्षकारान में मुकदमेंबाजी बढेगी और पक्षकारान बर्बाद हो जावेंगे। सायल के बाल बच्चे भूखे मर जावेंगे। जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायल नं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है। गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल सं01 आराजीयात खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.09 है0, 1399 रकबा 0.04 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 172 रकबा 0.18 है0, 214 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.31 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.28 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन में सायला के मुताविक बाहमी बंटवारा 1/2 हिस्से की भूमि के ... बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें न किसी अन्य से करावें ... से सायला को बेदखल नहीं करें ना ही करावें। सायला ... गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करें ना करावे जिससे सायला के ... हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये र...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 22.11.2019 को गैरसायल 02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01,2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01,2 गलत है अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है, अस्वीकार है। बाका तारीखी 24.06.2018 एकदम गलत अंकित करवाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है, अस्वीकार है।

विशेष विवरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायला व गैरसायलान के परिवार का सजरा अंकित किया है जिसमें श्याम के वारिस सम्पत्ति, धसी, लीलावती तथा धन्सी की वारिस गुड्डी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि बतौर सजरा विवादग्रस्त आराजीयात में सायला 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। सम्पत्ति ने अपने 1/3 हिस्से की रजिस्टर्ड रिलीजडीड दिनांक 06.01.2016 को गैरसायला लीलावती के हक में तकमील तस्दीक करवा दी गई। इस प्रकार वर्तमान में लीलावती विवादग्रस्त आराजी में 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार मौके पर काबिज एवं दखील है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र टी0 आई0 खारिज फरमाया जावे।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073—76 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायला ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायला ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र [illegible] जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन [illegible] तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। [illegible] से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073 — 76 के [illegible]सार विवादित आराजी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

1398 रकबा 0.09 है0, 1399 रकबा 0.04 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 172 रकबा 0.18 है0, 214 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.31 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.28 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुड्‌डी पुत्री घन्सी हि01/2, लीलावती पुत्री श्याम हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.09 है0, 1399 रकबा 0.04 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 172 रकबा 0.18 है0, 214 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.31 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.28 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन के सायला एवं गैरसायला सं01 दोनों बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी है तथा संयुक्त आराजीयात पर सभी सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है। सायला की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजीयात पर गैरसायल सं01 के द्वारा उनके हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा की जा रही हो। यदि गैरसायल सं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जावेगा तो उससे उसके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है जबकि पाबन्द नहीं किये जाने पर सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। सायला का प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायल सं01 के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.09 है0, 1399 रकबा 0.04 है0, 144 रकबा 0.10 है0, 172 रकबा 0.18 है0, 214 रकबा 0.16 है0, 221 रकबा 0.31 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.28 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 03.07.2018 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.202[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner